

कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर

सर्किट हाउस के पास, जयपुर रोड़, सीकर-332001

ई-मेल uit.sikar@rajasthan.gov.in, फोन नं. 01572-245057

क्रमांक:- न.वि.न्या/नियमन/2022/5217

दिनांक:- 06/10/22

प्रेषिती:-

शीशराम पुत्र गणपत सिंह जाति जाट नि. हरदयालपुरा तह. व जिला सीकर।

तीजू देवी पत्नी भगवाना राम जाति जाट नि. पिपराली तह. व जिला सीकर।

महावीर सिंह पुत्र गणपत सिंह जाति जाट नि. हरदयालपुरा तह. व जिला सीकर।

विषय:- राजस्व ग्राम हरदयालपुरा तहसील सीकर के खसरा सं. 739/506 रकबा 1.3400 है. एवं खसरा संख्या 1058/741 रकबा 0.1304 है. अर्थात् कुल रकबा 14704.00 वर्गमीटर में से 12892.00 वर्गमीटर (मौके पर उपलब्ध भूमि अनुसार) भूमि में दयाल विहार आवासीय योजना के अनुमोदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम हरदयालपुरा तहसील सीकर के खसरा सं. 739/506 रकबा 1.3400 है. एवं खसरा संख्या 1058/741 रकबा 0.1304 है. अर्थात् कुल रकबा 14704.00 वर्गमीटर में से 12892.00 वर्गमीटर (मौके पर उपलब्ध भूमि अनुसार) भूमि में दयाल विहार आवासीय योजना को टाउनशिप पॉलिसी 2010 की पालना सुनिश्चित करते हुए निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन विकसित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है -

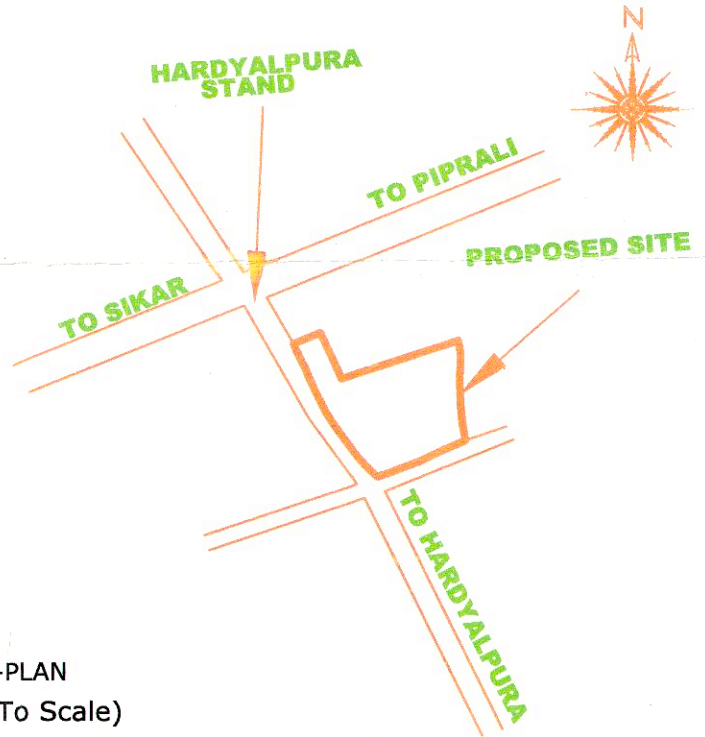
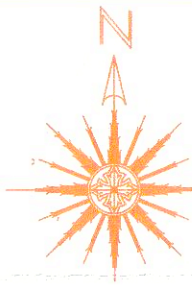
1. रेरा (RERA) में रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरान्त ही भूखण्डों का विक्रय/बेचान किया जावे।
 2. योजना संलग्न अनुमोदित मानचित्रानुसार ही विज्ञ तकनीकीविद की देख-रेख में विकसित की जावेगी। सर्वप्रथम अनुमोदित प्लान अनुसार सम्पूर्ण योजना के चारों ओर सुरक्षा दिवार बनायी जाकर न्यास को सूचित करना होगा।
 3. समस्त विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किये जाने होंगे तथा नियमों की कठोरता से पालना की जानी आवश्यक है।
 4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार 2.00 है. तक की योजनाओं के लिए 18 माह की अवधि आन्तरिक विकास कार्यों के लिए निर्धारित है।
 5. योजना का अनुमोदित मानचित्र योजनास्थल पर बड़े पटल पर प्रदर्शित करना होगा।
 6. भू-खण्डों का सीमांकन किया जाकर भू-खण्ड संख्या अंकित किया जाना होगा।
 7. योजना में वृक्षारोपण भवन विनियम 2020 के अनुसार ही किया जाना होगा।
 8. आन्तरिक विकास कार्यों के एवज में 12.50 प्रतिशत (भूखण्ड संख्या 1, 2, 3, 4, 35, 39 व 44) भू-खण्ड का न्यास के पक्ष में रहननामा सम्पादित किया गया है एवं इस आशय का एक बोर्ड भी योजना में चस्पा किया जाना आवश्यक है।
 9. विकासकर्ता को सम्पूर्ण कार्य होने के उपरान्त 3 वर्ष तक Maintenance किया जाना आवश्यक होगा। (Maintenance charges may be recovered by developer from the allottees).
 10. बोरिंग/ट्यूबवेल/पाईपलाईन को नियमानुसार पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण (Hand over) किया जाना होगा।
 11. योजना में विद्युतिकरण का कार्य स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रूल्स के निर्धारित मापदण्डानुसार किया जाकर ए. वि.वि.एन.एल. को हस्तान्तरण किया जाना होगा।
- संलग्न:- योजना मानचित्र।



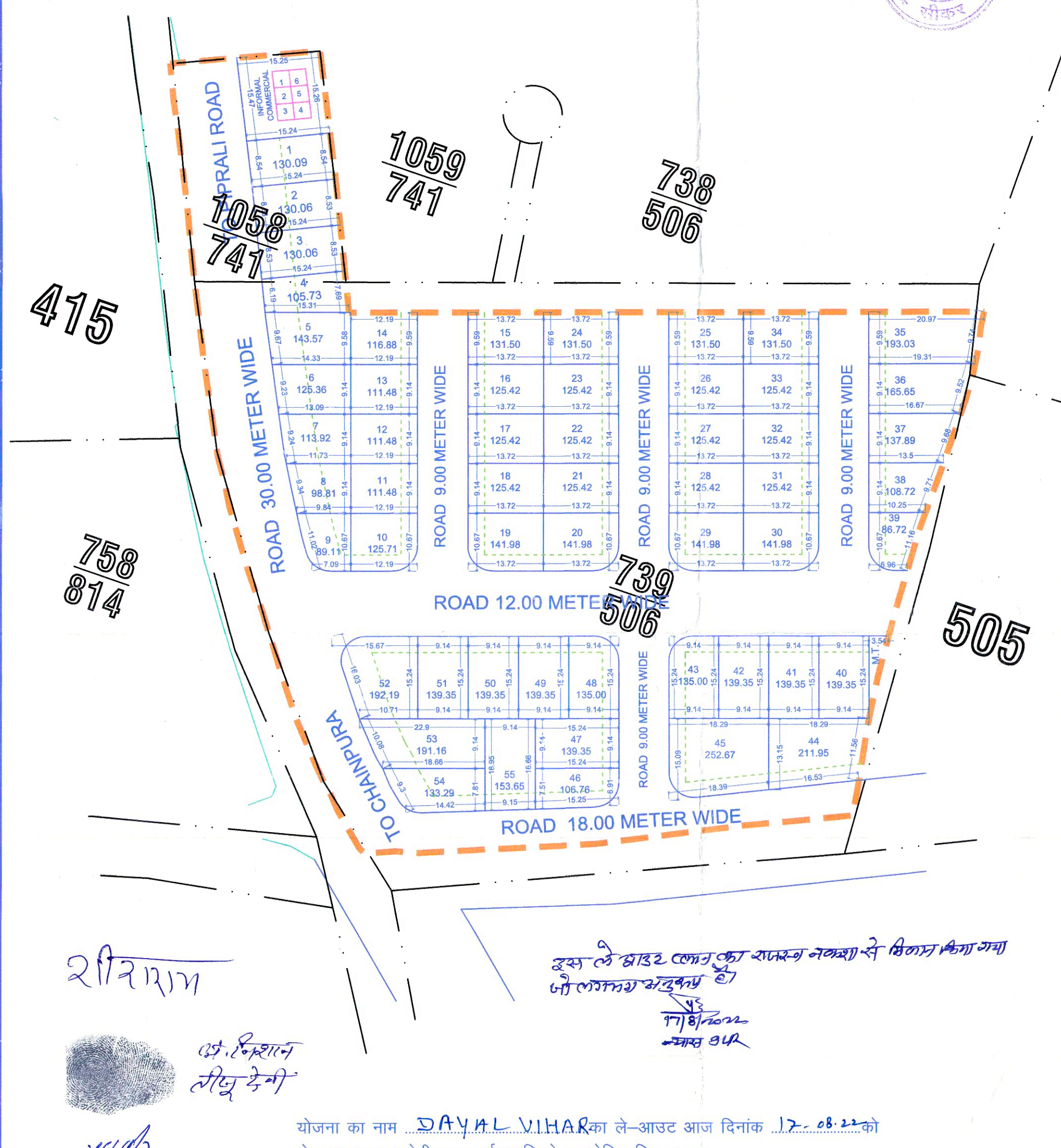
(राजपाल यादव RAS)
सचिव,
नगर विकास न्यास, सीकर

"DAYAL VIHAR"

LAYOUT PLAN OF KH.NO.739/506,741/506 AT HARDYALPURA STAND, SIKAR
REVENUE VILL. HARDAYALPURA
FOR 90-A AND RESIDENTIAL SCHEME
APPLICANT:- 1. SHISHRAM S/o GANPAT SINGH 2. TIJU DEVI W/o BHAGWANA RAM
3.MAHAVEER SINGH S/O GANPAT SINGH
R/o VILLAGE HARDAYALPURA, DIST. SIKAR



KEY-PLAN
(Not To Scale)



S.N.	LAND USE	AREA (sq.mtr.)	%
1.	RESIDENTIAL	7421.97	57.57 %
2.	INFORMAL	234.08	01.82 %
3.	MO.TOWER	0025.14	00.20 %
4.	ROAD	5210.81	40.41%
TOTAL		12892.00	100.00 %

SCHEME PLOTS DETAIL

1.	PLOTS	NO. PLOTS
2.	RESIDENTIAL	55
3.	MOBILE TOWER	1
4.	INFORMAL COMMER.	6

SCALE - 1CM = 7 MTR.

---	SCHEME BOUNDARY
---	KHASRA LINE
---	PLOT BOUNDARY

NOTE : ALL DIMENSIONS ARE IN METER

AREA IN KH. NO.739/506=11588.00 SQ. MTR
AREA IN KH. NO.741/506=1304.00 SQ. MTR
AREA FOR CONVERSION=12892.00 SQ. MTR

शिशिराम
टीजू देवी

इस ले आउट प्लान का शर्तन नकशा से सिद्ध किया गया
हो लागत अंशुका है
17/08/22
न्याय भवन

योजना का नाम DAYAL VIHAR का ले-आउट आज दिनांक 12-08-22 को
लेआउट प्लान कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

17/08/2022
(मोहम्मद अजहर जाद)
नगर विकास अधिकारी

12/08/22
सहकारक अभियन्ता
नगर विकास न्याय, सीकर

12/8/22
राजपाल (RAS)
नगर विकास न्याय, सीकर

SURVEYED BY HOME ARCHITECT & SURVEYORS
1st, floor, Jangir Bhawan
Opp. court, Sikar
mo. 7891067650, 9928338794